संख्या- 96/2018/443(1)/35-3-2018-1(33)/2015टी0सी0

प्रेषक,

आर0एन0एस0 यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/जिला रजिस्ट्रार नागरिकता पंजीकरण,

जनपद- जे॰ पी॰ नगर, बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, हरदोई, फैजाबाद, आगरा, कन्नौज, हमीरपुर, बलिया, एटा, सिद्धार्थनगर एवं मथुरा, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 30 मार्च, 2018**

विषय: वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायोमेट्रिक कार्य से संबंधित प्रगणकों के मानदेय भुगतान हेतु बजट आवंटन/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायोमेट्रिक कार्य से संबंधित प्रगणकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में पुनर्विनियोग आदेश संख्या-आर.ई-759/ई-5-485/दस-2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत 07-मानदेय मद में हुई बजट व्यवस्था रू0 29,56,000/- (रूपये उन्तीस लाख छप्पन हज़ार मात्र) से अनुलग्नक में अंकित 14 जनपदों- जे॰ पी॰ नगर, बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, हरदोई, फैजाबाद, आगरा, कन्नौज, हमीरपुर, बलिया, एटा, सिद्धार्थनगर एवं मथुरा को वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायोमेट्रिक कार्य से संबंधित प्रगणकों के मानदेय भुगतान हेतु रू0 29,56,000/- (रूपये उन्तीस लाख छप्पन हज़ार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि का आवंटन/व्यय निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत/आवंटित धनराशि को इसी वित्तीय वर्ष में व्यय किया जायेगा।

(2) आवंटित मद के अनुरूप ही धन का आहरण एवं व्यय पात्र प्रगणकों को मानदेय का भुगतान करने हेतु आवश्यकतानुसार किया जाये।

(3) उक्त आवंटित धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जाए तथा आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं जनगणना कार्य निदेशालय को प्रेषित किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-800-अन्य व्यय-04-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर-07-मानदेय की मानक मद के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(**आर0एन0एस0 यादव**)
विशेष सचिव।

संख्या: 96/2018/443(1)/35-3-2018-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- कोषाधिकारी, जनपद- जे॰ पी॰ नगर, बागपत, शामली, गौतमबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, हरदोई, फैजाबाद, आगरा, कन्नौज, हमीरपुर, बलिया, एटा, सिद्धार्थनगर एवं मथुरा, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, जनगणना भवन, प्लाट संख्या-सी0सी0-1,सेक्टर जी, अलीगंज लखनऊ को उनके पत्रांक-डीसीओ-यूपी/02-2011/एनपीआर-326 दिनांक 13 मार्च, 2018 के सन्दर्भ में।
8- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9- उक्त 14 जनपदों के नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगरपंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वरा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
10- निदेशक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल इन्दिरा भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-5
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या- 96/2018/443(1)/35-3-2018-1(33)/2015 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2018 का अनुलग्नक

धनराशि (रूपये में)

क्रं. सं.	जनपद	चार्ज का नाम	ईबी की संख्या	प्रगणकों की संख्या	धनराशि
1	जे॰ पी॰ नगर	आमरोहा न॰पा॰प॰	381	297	297000
		धनौरा न॰पा॰प॰	57	54	54000
		हसनपुर न॰पा॰प॰	109	109	109000
		बच्छरायूं न॰पा॰प॰	52	41	41000
		गजरौला न॰पा॰प॰	87	85	85000
		नौगवां सादत न॰पं॰	35	34	34000
		जोया न॰पं॰	38	8	8000
2	कन्नौज	कन्नौज न॰पा॰प॰	145	34	34000
		तहसील कन्नौज	444	183	183000
3	हरदोई	हरदोई न॰पा॰प॰	143	141	141000
		पिहानी न॰पा॰प॰	56	56	56000
		मललावाँ न॰पा॰प॰	64	64	64000
		सांडि न॰पा॰प॰	46	45	45000
		कुरसठ न॰पं॰	10	10	10000
4	फिरोजाबाद	फ़िरोज़ाबाद नगरनिगम	96	44	44000
5	शामली	शामली न॰पा॰प॰	107	42	42000
6	फ़ैज़ाबाद	रुदौली न॰पा॰प॰	62	61	61000
		भदरसा न॰पं॰	23	11	11000
		गोसाईगंज न॰पं॰	26	6	6000
		फ़ैज़ाबाद न॰पा॰प॰	288	81	81000
7	आगरा	स्वामीबाग न॰पं॰	10	3	3000
		आगरा नगरनिगम	*	320	320000
8	गौतमबुद्ध नगर	जहाँगीरपुर न॰पं॰	19	5	5000
		जेवर न॰पं॰	39	9	9000
		दादरी न॰पा॰प॰	132	64	64000
		तहसील दादरी	178	43	43000
		ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण	280	70	70000
		दनकौर न॰पं॰	9	9	9000
		तहसील सदर	95	95	95000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	हमीरपुर	तहसील हमीरपुर	77	73	73000	
		हमीरपुर न॰पा॰प॰	69	50	50000	
		मौदाहा न॰पा॰प॰	8	1	1000	
		राठ न॰पा॰प॰	*	3	3000	
		सुमेरपुर न॰पं॰	72	18	18000	
		कुरारा न॰पं॰	24	23	23000	
10	बलिया	रासड़ा न॰पा॰प॰	57	21	21000	
11	बागपत	खेकड़ा न॰पा॰प॰	85	85	85000	
		टिकरी न॰पं॰	*	10	10000	
		बड़ौत न॰पा॰प॰	147	57	57000	
		छपरौली न॰पं॰	34	8	8000	
		अमीनगर सराय न॰पं॰	*	11	11000	
		अग्रवाल मंडी न॰पं॰	24	9	9000	
		दोघाट न॰पं॰	27	13	13000	
12	एटा	एटा न॰पा॰प॰	214	82	82000	
		सकीट न॰पं॰	14	7	7000	
		निधौली कलां न॰पं॰	18	19	19000	
13	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर न॰पा॰प॰	50	50	50000	
		बांसी न॰पा॰प॰	71	71	71000	
		शोहरतगढ़ न॰पं॰	20	20	20000	
		बढ़नी बाज़ार न॰पं॰	26	26	26000	
		डुमरियागंज न॰पं॰	50	13	13000	
		उसका बाज़ार न॰पं॰	44	44	44000	
14	मथुरा	मथुरा न॰पा॰प॰	430	195	195000	
		मथुरा छा॰प॰	32	23	23000	
	योग		-	**2956**	**2956000**	

(आर0एन0एस0 यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।